AND FAMILY WELFARE be pleased to sate:

(a) whether it is a fact that the 'Vaccines lose their potency' because of non-adoption of the cold chain method, in some of the Primary Health Centres in various States;

(b) whether Government have received any complaint relating to vaccines which were not potent when administered to children; and

(c) what action Government have taken to keep the vaccines effective for application on the children?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF HEALTH IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) and (b) Vaccines need to be stored and transported at recommended temperature in order to retain their efficacy. While direct complaints have been received from the PHCs. Some of the samples of oral polio vaccine tested for potency were found to contain less than the required titre of the vaccine virus per dose.

(c) A large number of cold storage and transportation equipments have been provided to strengthen the cold chain for vaccines. Training courses are also organised for the better management and monitoring of the cold chain.

दिल्ली में सड़कों का निर्माण

891. **श्री शरद यादव :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में प्रति कि० मीटर सड़क बनाने की औसत लागत कितनी है; और छठी पंचवर्षीय योजनावधि में सड़कों के रख-रखाव पर कितना खर्च किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : दिल्ली मे सड़कों का निर्माण और रख-रखाव-कार्य मुख्य रूप से दिल्ली प्रशासन के लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा किया जाता है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार लागू विशिष्टयो की प्रकृति के आधार पर बिटुमिनियस सड़क के निर्माण की प्रति कि० मी० औसत लागत 5.5 लाख रु० से 12.00 लाख रु० प्रति सडक-लेन के बीच होती है और छठी पचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के रख-रखाव पर 6297.50 लाख रुपये व्यय किए गए ।

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के रजिस्ट्रार और कुलपति

892. **श्री शरद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः वर्षो के दौरान भारत के किन-किन विश्वविद्यालयों मे कुलपति और रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये है तथा इनमें से उन कुलपतियो और रजिस्ट्रारो के नाम क्या है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा के है तथा इनमें से कितने कुलपति और रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन हैं तथा कितने राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति निर्धारित की है कि इस प्रकार के पदों पर शिक्षाविदों को नियुक्त न करके भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्तियों की ही नियुक्ति की जायेगी; और

(ग) क्या शिक्षा के स्तर पर या सत्रों के सुचारू रूप से चलाये जाने में कोई सुधार हुआ है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) :(क) इस समय देश में 135 विश्वविद्यालय है । इनमें से 9 संसद् के अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और शेष 126 विभिन्न राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अन्तर्गत कार्य कर रहे है ।

कुलपति और रजिस्ट्रार प्रत्येक विश्वविद्यालय के संगत अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाते है । राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यरत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारो की नियुक्ति में केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है । राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों के रूप में नियुक्त लोगों की व्यावसायिक या शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में भी केन्द्रीय सरकार न तो कोई सूचना एकत्र करती है और न ही रखती है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए पिछले छः वर्षों के दौरान कुलपतियों और रजिस्ट्रारों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम और नियुक्ति वर्ष निम्न प्रकार है :—

विश्वविद्यालय के नाम	कुलपति के नाम	रजिस्ट्रार के नाम
1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	श्री सैयद हामिद अली (1985)	श्री एस०शाहीद अली
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	प्रो० इकबाल नारायण (1981) प्रो० आर० पी० रस्तोगी (1985)	— —
3. दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रो० मुनीस राजा (1985)	श्री मदन मोहन (1984)
4. हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रो० श्री कृष्ण मूर्ति (1986)	डा० के० सी० रेड्डी (1984)
5. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	प्रो० जी० राम रेड्डी (1985)	(i) श्री के० नारायण (1986) (ii) मेज० जेन० जी० एम० विर्क (अवकाश प्राप्त) (1986)
6. जवहार लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	(i) डा० वाई० नायुडाम्मा (1981) (ii) प्रो० पी० एन० श्रीवास्तव (1983)	(i) श्री पी० एन० शर्मा (1981) (ii) श्री जे० एस० खन्ना (1983)
7. उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग	(i) डा० बी०डी० शर्मा (1982) (ii) प्रो० आर० के० मिश्र (1986)	(i) श्री एच० डब्ल्यू० टी० सईम (1985) (ii) श्री डी० सी० पन्त (1986)

विश्वविद्यालय के नाम	कुलपति के नाम	रजिस्ट्रार के नाम
8. पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय	डा० के० वेन्कट सुब्रमण्यम (1985)	श्री पी० आर० रामनाथन (1986)
9. विश्व-भारती शान्ति निकेतन	प्रो० नेमाई साधन बोस (1984)	श्री टी० बी० लहरी (1986)

उपर्युक्त व्यक्तियों में श्री सैयद हाशीम अली, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके थे जब कि श्री बी० डी० शर्मा 1982–86 के दौरान उ० पू० पर्वतीय विश्वविद्यालय के कुलपति थे, वे सेवारत भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे । रजिस्ट्रारों में उ० पू० पर्वतीय विश्वविद्यालय में श्री एच० डब्ल्यू० टी० सईम और पाण्डिचेरी में श्री पी० आर० रामनाथन भारतीय प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर हैं । पिछले छ: वर्षों के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी अधिकारी को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति या रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है ।

(ख) सरकार ने ऐसी कोई नीति या पद्धति निर्धारित नहीं की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नेत्र शिविर आयोजित करने में अनियमितताएं

803. **श्री शरद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान में आयोजित किए गए नेत्र शिविरों में अनियमितताओं के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) इन आपरेशनों में कितने लोगों की नेत्र ज्योति लौटी है और कितने लोगों की ज्योति छिन गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान खुर्जा और मुरादाबाद में नेत्र शिविर आयोजित करने में की गई अनियमितताओं के बारे में केवल उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(ख) यह सूचना इस प्रकार है :—

	आपरेशनों की कुल संख्या	जिन लोगों के नेत्रों की ज्योति चली गई उनकी कुल संख्या
खुर्जा	105	84
मुरादाबाद	380	15